न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 64/2016

1. नसीब कौर पत्नि गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दीपा पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. भोलासिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अमरजीत कौर पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. रणजीतसिंह पुत्र कुलविन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. मेलासिंह पुत्र मुंशीसिह जाति मजहबी निवासी 7 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. जीतसिंह पुत्र मुंशा सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. खेमचन्द पुत्र मुंशा सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. भूरासिंह पुत्र मुंशा सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. निक्का सिंह पुत्र मुंशा सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. गुड्डी पुत्री मुंशा सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. ज्ञानो पुत्र मुंशा सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. सामों कौर पुत्री मुशा सिंह जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार खास मेलासिंह पुत्र मुंशा सिंह
14. मक्खन सिंह पुत्र नन्द कौर जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. बीबो पुत्री नन्दकौर जाति मजहबी निवासी 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार मेला सिंह।
16. गरीब सिंह पुत्र धनकौर निवासी सदा कल्याण तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
17. सरजीत सिंह पुत्र धनकौर निवासी सदा कल्याण तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
18. मेजर सिंह पुत्र धनकौर निवासी सदा कल्याण तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
19. कुलदीप सिंह सिंह पुत्र धनकौर निवासी सदा कल्याण तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
20. गुरदास सिंह पुत्र धनकौर निवासी सदा कल्याण तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

21. बलवीर सिंह पुत्र धनकौर निवासी सदा कल्याण तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
22. जंगीरकौर पत्नि बलवीर सिंह जाति मजहबी निवासी 1 वी तहसील श्रीकरनपुर जरिये मुखत्यार आम मेला सिंह

<u>अपीलांट</u>

<u>बनाम</u>

1. प्रेमा पुत्र बच्चन सिंह जाति जटसिख निवासी उसमान खेडा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
2. बूकन सिंह पुत्र धन सिंह निवासी 11 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. भागीरथ पुत्र भीखाराम जाति मेधवाल निवासी वार्ड सख्या 4, 2 एमएसडी (7 एलसी) तहसील श्रीविजयनबर

<u>रेस्पोडेन्टस</u>

उपस्थित : 1. श्री गुरचरण सिंह , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, रेस्पो. सं0 3

<u>आदेश</u> <u>दिनांक :–</u> 19.9.2017

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस के पूर्वज को चक 500 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर के मु0न0 43 का 6.287 है0 जीवों के आधार पर अलाट किया गया जिसमें मुंशासिंह पुत्र बच्चन सिंह स्वयं नन्दकौर, धन कौर पुत्रीयां बचन सिंह व जंगीर कौर पत्नि बलवीर सिंह चारों को भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से अलाट किया गया जिसकी सदन चारों के नाम से 1970 को जारी हुई तथा चारों के नाम से रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, तथा उक्त चारों द्वारा उपरोक्त रकबा को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से हिस्सा ठेका पर काश्त करवाया जाता था, जिसकी आड में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर 1.571 है0 रकबा के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामी खरीददार के रूप में खाना उर्फ धन्ना पुत्र प्रेमा हरिजन दर्ज करवा लिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति 500 एलएनपी में कभी नहीं रहा, ना ही वास्तव में उपरोक्त भूमि का बैचान किया गया बल्कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 का नाजायज कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट 1 प्रभावीशाली झगडालू प्रवृति का होने ठैके के रूप में काश्त करते हुए दो वर्ष कब्जा वापिस देने का कहने पर इंकार हो गया, इस प्रकार अपीलांटस ने विभिन्न अधिकारीयों जहां तक कि राज्य सरकार को भी प्रार्थना पत्र प्रेषित किये मगर अंत में कानूनी कार्यवाही धारा 183 बी का प्रकरण पेश करने के लिए कानूनी सलाह मिलने पर दिनांक 05.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 (बी) का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रेस्पोडेन्ट 1 को तलब किया गया। इसी बीच में रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई कर निर्णय जेर अपील पारित करते हुए समस्त भूमि का कब्जा ना दिलाकर केवलमात्र एक 1.574 है0 का कब्जा दिलाने का आदेश दिया जिस पर यह अपील पेश की गई। अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायलय का निर्णय तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर 21.06.2016 जिसकी रूह से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 183(बी) आरटीएक्ट उपरोक्त अनवानी प्रकरण सख्या 01/2015 को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

आंशिक स्वीकार करते हुए समस्त भूमि 6.287 है0 का कब्जा ना दिलाकर केवल मात्र 1.574 हैक्टर का कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया। अतः शेष की हद तक खारिजी का आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए क़ब्जा दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है, गलत खिलाफ कानून , खिलाफ वाक्यात होने से निरस्तनीय है। वास्तव में समस्त भूमि पर कब्जा रेस्पोडेन्ट सख्या 01 का ही है, मगर उसने नुमायशी अविधिक कूटरचित बैयनामाजात आदि बना रखे है, इस प्रकार समस्त भूमि पर हरिजन की भूमि पर स्वर्ण का कब्जा होने से समस्त भूमि का कब्जा अपीलांटस को दिलाया जाना आवश्यक था मगर अधीनस्थ न्यायलय न गलत तौर से 1.571 है0 का इन्तकाल खाना उर्फ धन्ना पुत्र प्रेमा के नाम दर्ज होने व शेष भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदशे होने का कथन कर प्रार्थना पत्र को इस हद तक खारिज करने का गलत आदेश पारित किया गया जबकि अपीलांटस समस्त भूमि 6.287 है0 का कब्जा पाने की अधिकारी है। अतः शेष की हद तक खारिजी का आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए कब्जा दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्रीगुरचरण सिंह ने लिखित बहस मय साक्ष्य दिनांक 19.09.2017 को प्रस्तुत किये गये जिसे शामिल पत्रावली रखा गया। लिखित बहस के अनुसार चक 500 एलएनपी के मुरब्बा नम्बरर 43 में 1.571 हैक्टयर रकबा दर्ज है। इस रकबा को धन्ना उर्फ खाना निवासी 11 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा कभी काश्त नही किया गया। 500 एलएनपी में खाना उर्फ धन्ना नाम का कोई व्यक्ति पैदा नही हुआ, चक 500 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 43 के 6.287 हैक्टेयर रकबा की गिरदावरी वर्ष 2001–2002, 2004–2005 अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है इस रकबा की गिरदावरी जसवीर सिंह पुत्र प्रेमा निवासी उस्मान खेडा तहसील अबोहर के नाम दर्ज है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा राजस्व पटवारी सुरेन्द्र मोहन सिन्हा द्वारा सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 17.02.1994 को दर्ज करवाये गये ब्यानों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें राजस्व पटवारी द्वारा माना है कि इस भूमि पर भौतिक रूप से जसवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह व प्रेम सिंह पुत्र बचन सिंह निवासी उस्मानखेडा (पंजाब) जाति जटसिख ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और खाना उर्फ धन्ना पुत्र प्रेमा जाति हरिजन नाम का कोई व्यक्ति 500 एलएनपी में नही रहता । खाना पुत्र प्रेमा जाति मजहबी निवासी 500 एलएनपी इस रकबा पर कभी काबिज नही रहा और ना ही वर्ष 1970 से लेकर आज तक खाना पुत्र प्रेमा नामक व्यक्ति कभी 500 एलएनपी में पैदा हुआ है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दैनिक डायरी कमांक 5691 दिनांक 14.07.2013 भी प्रस्तुत की है जिसकी प्रमाणित प्रति लिखित बहस के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि गुरमेल सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जटसिख को ढाणी में फसल देखरेख के लिये छोडा गया है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मौका पर उक्त 6.287 हैक्टेयर रकबा पर प्रेमा पुत्र बचन सिंह जाति जटसिख निवासी उस्मानखेडा के वारिसान काबिज है जो नुमाईशी व कूटरचित बैयनामों के आधार पर अर्जित बेनामी सम्पति के रूप में काबिज है, स्वर्ण जाति का व्यक्ति होते हुए हरिजन जाति के रकबा पर अनाधिकृत काबिज है, इसलिए खाना उर्फ धन्ना पुत्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

प्रेमा के नाम रकबा 1.574 हैक्टेयर का कब्जा या तो अपीलाण्ट को दिलाना चाहिए था या धारा 175 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर रकबा पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश दिया जाना था। वास्तव में समस्त भूमि पर कब्जा रेस्पोडेण्ट सख्ंया 1 का ही रखे है, इस प्रकार समस्त भूमि पर हरिजन की भूमि पर स्वर्ण का कब्जा होने से समस्त भूमि पर स्वर्ण का कब्जा होने से समस्त भूमि का कब्जा अपीलाण्टस को दिलाया जाना आवश्यक था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से 1.571 हैक्टेयर का इन्तकाल खाना उर्फ धन्ना पुत्र प्रेमा के नाम दर्ज होने व शेष भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश होने का कथन कर प्रार्थना पत्र को इस हद तक खारिज करने का गलत आदेश पारित किया गया जबकि अपीलांटस समस्त भूमि 6.287 हैक्टर का कब्जा पाने की अधिकारी है।

अपील देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने मुकदमा की पैरवी के लिए वकील नियुक्त कर रखा था तथा वकील ने यह हिदायत कर रखी थी कि मुकदमा के निर्णय में काफी समय लगता है, हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नही है, बुलाने पर ही आना होगा। अतः जानबुझकर कोई देरी नही की गई। अपील ईल्म से अन्दर मियाद है धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ प्रस्तुत किया गया है। अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर समय कन्डोन किया जाना न्यायहित में है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय जो आंशिक रूप से प्रार्थना पत्र खारिज करने का दिया गया है निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए कब्जा व मीन प्रोफिट दिलवाये जाने का आदेश पारित किया जावें या प्रकरण पुनः जांच व धारा 175 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को रिमाण्ड किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 21.07.2016 पारित किया गया है वो विधिसम्मत है। जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलार्थीयान खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 21.07.2016 विधि सम्मत् है। **तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 21.07.2016 से " 500 एलएनपी के मु.न. 43 के 6.287 हैक्टर रकबा में किला नम्बर 1,2, 9 ता 12 , 13 में 8.5 बिस्वा, 18 ता 23 कुल 12 बीघा 8.5 बिस्वा यानि 3.142 हैक्टर रकबा पर माननीय न्यायलय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश है जो धारा 175 आरटीए के निर्णय तक प्रभावी है, तथा 1.571 हैक्टर का नामान्तरण खाना उर्फ धन्ना पुत्र प्रेमा जाति हरिजन के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुका है, जिसमें हस्तक्षेप नही किया जा सकता। शेष 1.574 हैक्टर रकबा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीगण को कब्जा दिये जाने के आदेश दिये जाते है।"** तहसीलदार का उक्त निर्णय विधिसम्मत् पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2016 विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को भेजी जावें ए रिकार्ड लौटाया जावें पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.09.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)